

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार आर.ए.एस.

1- अपील संख्या 91 / 2013

गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी गांव बुधरवाली जरिये प्रधान जसवीरसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी गांव बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

-अपीलार्थी

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र मेहरसिंह
2. कुलदीपसिंह पुत्र गुरजन्तसिंह
3. सुखासिंह पुत्र चनपासिंह
4. गेन्डासिंह पुत्र गुरदतसिंह
5. गुरतेजसिंह पुत्र श्यामसिंह
6. कुलदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह
7. श्याम सुन्दर पुत्र हजूरसिंह
8. केवलसिंह पुत्र करतारसिंह
9. कुलवीरसिंह पुत्र जसकरणसिंह
10. जोगेन्द्रसिंह पुत्र हजूरसिंह

निवासीगण बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर ।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2- अपील संख्या 93 / 2013

गुरुद्वारा कंलगीधर कमेटी गांव बुधरवाली तहसील सादुलशहर जरिये प्रधान रूपसिंह पुत्र मेहरसिंह जाति जटसिख निवासी गांव बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

— अपीलार्थी

बनाम

1. जसवीरसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति जटसिख निवासी गांव बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

2. बलदेवसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
3. जग्गासिंह पुत्र सुरजीतसिंह
4. तारासिंह पुत्र नरसिंह
5. सुखदेवसिंह पुत्र रिसालसिंह
6. पालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
7. जैलासिंह पुत्र इन्द्रसिंह
8. घुकरसिंह पुत्र लघाणासिंह
9. गोरासिंह पुत्र अवतारसिंह
10. ईकबालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
11. बलविन्द्रसिंह पुत्र बग्गासिंह

जाति जटसिख निवासीगण बुधरवाली
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर।

—रेस्पोंडेन्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 21.06.2013

उपस्थित:-

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक अपीलार्थी अपील सं. 91/2013

श्री दिनेश छाबड़ा अभिभाषक अपीलांत अपील सं. 93/2013

श्री मोहनलाल छाबड़ा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 7, 3, 6 अपील संख्या 91/2013


श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 अपील संख्या 93/13

श्री इकबालसिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 19.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपील संख्या 91/13 के प्रार्थी/अपीलांत ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे चक 11 एसडीएस के प.न. 45/126 में मु.न. 9 के कि.न. 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की 2.530 हे० भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे,


19/12/17
राजस्थान अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रहन बैय व खुर्द बुर्द करने से बाज व ममनू रहें। इसी प्रकार एक वाद गुरुद्वारा कलगीधर जरिये प्रधान रूपसिंह ने पेश किया जिसके साथ धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 21.06.2013 को दोनों ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये जिसके विरुद्ध उक्त दोनों ही अपीलें पेश हुई हैं। दोनों ही अपीलों में विवादित भूमि एक होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।


उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलों के अभिभाषकगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं दोनों अपीलांट की अपील स्वीकार करने एवं एक दूसरे की अपील खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 93/2013 गुरुद्वारा कलगीधर कमेटी बनाम जसवीरसिंह व अपील संख्या 91/2013 गुरुद्वारा सिंह सभा बनाम रूपसिंह आदि अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सादुलशहर के एक ही निर्णय दिनांक 21.06.2013 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा गुरुद्वारा कलगीधर व गुरुद्वारा सिंह सभा दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधियों का कब्जा साबित नहीं होने से दोनों के प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये हैं जो Speaking आदेश नहीं होने से अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।


अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, विवादित आराजी चक 11 एस.डी.एस. की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में माफी गुरुद्वारा बुधरवाली खातेदारी दर्ज राज रेकार्ड है जो अपील संख्या 93/2013 के अपीलांट गुरुद्वारा कलगीधर कमेटी गांव बुधरवाली तहसील सादुलशहर जरिये प्रधान रूपसिंह वल्द मेहरसिंह जाति जटसिख विवादित भूमि पर काबिज होकर अस्थाई निषेधाज्ञा का


19/12/17
अधी. न्यायालय
सादुलशहर (राज.)

अनुतोष चाहा है। वहीं 91/2013 के अपीलान्ट गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी बुधरवाली प्रधान जसवीरसिंह पुत्र बन्तासिंह विवादित भूमि पर काबिज होकर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विवादित आराजी शास्वत नाबालिग माफी गुरुद्वारे के नाम दर्ज है जिसके रखरखाव हेतु Next Friend कौन हो सकता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय का मोहताज है जिसके अभाव में जिस रूप में धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा.पत्र अधी. न्यायालय द्वारा एक तरह से निर्णय किये बगैरह निर्णित किया है। अतः यह न्यायालय इसका निर्णय करना उचित समझता है। यह न्यायालय भी शास्वतनाबालिग (Perpetual minor) माफी गुरुद्वारे की जमीन की उचित व्यवस्था हेतु राज.काश्त.अधि. की धारा 212(2) सह-पठित सीपीसी की धारा 151 के अन्तर्गत अपने Inherent Powers का प्रयोग करते हुए तहसीलदार सादुलशहर को रिसीवर नियुक्त करना उचित समझता है। अतः जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह माफी गुरुद्वारे की विवादित आराजी के रख रखाव का Next Friend कौन होगा, का निर्णय नहीं हो जाता तहसीलदार सादुलशहर अपनी देखरेख में जो भी विधिक तरीका हो व्यवस्था करेंगे तथा प्राप्त आय, गुरुद्वारे के संघारण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार दोनों ही अपीलें अपीलान्ट खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार सादुलशहर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पालना एक माह में इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रेमाशम परमार) 19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर